पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 84/2022

अनवान :

1. संजय पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. कैलाश पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. शारदा पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. सुशीला पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. मुकेशी पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री दलवीर बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री राजेश नेहरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 235/285 के खसरा नं0 336/2 की 0.5690है0, खसरा नं0 337 की 1.1890है0, खसरा नं0 338 की 0.2400है0, खसरा नं0 340 की 0.1520है0, खसरा नं0 341 की 0.8860है0, खसरा नं0 49/740 की 4.7440है0, खसरा नं0 66 की 1.3150है0, खसरा नं0 690 की 2.7200है0, खसरा नं0 693 की 4.3510है0, खसरा नं0 722/2 की 0.6070है0, खसरा नं0 86 की 6.0720है0, खसरा नं0 88/743 की 3.0360है0, खसरा नं0 89 की 4.6050है0, खसरा नं0 90 की 4.2760है0, कुल खसरा 14 की कुल 34.7620है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के नाम 1/16 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र अकेले के बजाय वादी संजय 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र को 1/7 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8.6.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 84/2022

अनवान :

1. संजय पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. महेन्द्र पुत्र प्रभूराम जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
2. रोशनी पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
3. कैलाश पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
4. शारदा पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
5. सुशीला पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
6. मुकेशी पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी त0 भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक ।

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री दलवीर बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री राजेश नेहरा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 8.6.22

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 235/285 के खसरा नं0 336/2 की 0.5690है0, खसरा नं0 337 की 1.1890है0, खसरा नं0 338 की 0.2400है0, खसरा नं0 340 की 0.1520है0, खसरा नं0 341 की 0.8860है0, खसरा नं0 49/740 की 4.7440है0, खसरा नं0 66 की 1.3150है0, खसरा नं0 690 की 2.7200है0, खसरा नं0 693 की 4.3510है0, खसरा नं0 722/2 की 0.6070है0, खसरा नं0 86 की 6.0720है0, खसरा नं0 88/743 की 3.0360है0, खसरा नं0 89 की 4.6050है0, खसरा नं0 90 की 4.2760है0, कुल खसरा 14 की कुल 34.7620है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के नाम 1/16 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं0 1 के पिता प्रभूराम की खातेदारी हुआ करती थी। प्रभूराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में संजय पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी भाडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भाडी खाता सं0 235/285 प्रदर्श 1, वारिस

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भाडी प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी भाडी की पैतृक कृषि भूमि खाता सं0 160/154 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पडता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम भाडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 2 में वारिस प्रमाण पत्र में एक पुत्र संजय कुमार व पांच पुत्रियां रोशनी, कैलाश, शारदा, सुशीला व मुकेशी के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा भाडी के खाता सं 235/285 के खसरा नं0 336/2 की 0.5690है0, खसरा नं0 337 की 1.1890है0, खसरा नं0 338 की 0.2400है0, खसरा नं0 340 की 0.1520है0, खसरा नं0 341 की 0.8860है0, खसरा नं0 49/740 की 4.7440है0, खसरा नं0 66 की 1.3150है0, खसरा नं0 690 की 2.7200है0, खसरा नं0 693 की 4.3510है0, खसरा नं0 722/2 की 0.6070है0, खसरा नं0 86 की 6.0720है0, खसरा नं0 88/743 की 3.0360है0, खसरा नं0 89 की 4.6050है0, खसरा नं0 90 की 4.2760है0, कुल खसरा 14 की कुल 34.7620है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के नाम 1/16 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज में से वादी को 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 को 1/6 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भाडी के खाता सं 235/285 के खसरा नं0 336/2 की 0.5690है0, खसरा नं0 337 की 1.1890है0, खसरा नं0 338 की 0.2400है0, खसरा नं0 340 की 0.1520है0, खसरा नं0 341 की 0.8860है0, खसरा नं0 49/740 की 4.7440है0, खसरा नं0 66 की 1.3150है0, खसरा नं0 690 की 2.7200है0, खसरा नं0 693 की 4.3510है0, खसरा नं0 722/2 की 0.6070है0, खसरा नं0 86 की 6.0720है0, खसरा नं0 88/743 की 3.0360है0, खसरा नं0 89 की 4.6050है0, खसरा नं0 90 की 4.2760है0, कुल खसरा 14 की कुल 34.7620है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र के नाम 1/16 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड दर्ज में से प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र अकेले के बजाय वादी संजय 6/7 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 महेन्द्र को 1/7 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी स0 2 ता 6 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.6.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner